VIII मुद्रा प्रबंधन

2008-09 के दौरान बैंक नोटों की गुणवत्ता में काफी सुधार हुआ । मूल्य की दृष्टि से जहां बैंक नोटों में 17 .1 प्रतिशत की वृद्धि हुई वहीं मात्रा की दृष्टि से 10.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई। रिज़र्व बैंक ने स्वच्छ नोट नीति के भाग के रूप में बैंक नोटों के यांत्रिक प्रसंस्करण को और अधिक सशक्त करने के लिए कई अन्य कदम उठाए हैं। रिज़र्व बैंक विशेष तौर पर कम मूल्य-वर्ग के बैंक-नोटों के जीवनकाल को बढ़ाने के विभिन्न विकल्पों पर विचार कर रहा है। लगातार तीसरे वर्ष भी 2008-09 के लिए बैंक नोटों के मांगपत्र को प्रिंटिंग प्रेसों द्वारा पूर्णतः पूरा किया। बैंक ने बैंक-नोटों की गुणवत्ता को बरकरार रखते हुए लागत को कम करने का अपना प्रयास जारी रखा। मुद्रा तिजोरियों के यौक्तिकीकरण एवं समेकीकरण की नीति के फलस्वरूप सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा रखरखाव की जा रही तिजोरियों की संख्या में और अधिक कमी आई। रिज़र्व बैंक ने जाली नोटों की समस्या से निपटने के लिए कई कदम उठाए हैं।

VIII.1 रिज़र्व बैंक के प्रारंभ से ही मुद्रा को जारी करना एवं इसका प्रबंधन करना इसके परंपरागत कार्य रहे हैं। किंतु मुद्रा के प्रबंधन की चुनौतियाँ कालांतर में बढ़ी हैं।अर्थव्यवस्था के बढ़ने एवं बैंक-नोटों की बढ़ती हुई आवश्यकताओं के कारण मुद्रा प्रबन्धन का कार्य अधिकाधिक जटिल हो गया है। नए नोटों का वितरण एवं गंदे नोटों को वापस लेना एवं उन्हें नष्ट करना रिज़र्व बैंक के मुद्रा प्रबंधन परिचालनों का प्रमुख अंग है।

VIII.2 वर्ष 2008-09 के दौरान रिज़र्व बैंक ने बैंक-नोटों एवं सिक्कों की बढ़ी हुई सार्वजनिक मांग को पूरा करने के लिए विभिन्न उपाय करने जारी रखे साथ ही बैंक-नोटों की गुणवत्ता को सुधारना जारी रखा। इस तरह से 2008-09 के दौरान बैंक-नोटों की गुणवत्ता में काफी सुधार के साथ बैंक-नोटों, विशेष तौर पर दस रुपए मूल्यवर्ग के नोटों, की मांग संपूर्णतः पूरी कर ली गयी। 2008-09 के दौरान रिज़र्व बैंक द्वारा निपटाए गए गंदे नोटों की संख्या में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई, जो निपटान क्षमता को बढ़ाने के इसके सतत एवं सुनियोजित प्रयासों के फलस्वरूप संभव हुआ। बैंकों के पास मौजूद सभी करेंसी चेस्टों में नोट छांटने की मशीनें (एनएसएम) पहले से ही लगी हुई हैं। और आगे बढ़ते हुए, रिज़र्व बैंक ने चुनिंदा 210 गैर करेंसी चेस्ट शाखाओं में डेस्कटॉप एनएसएम को प्राप्त करने एवं स्थापित करने के लिए कदम उठाए हैं। इस पहल के एक भाग के रूप में 2008-09 के दौरान 192 शाखाओं में एनएसएम स्थापित किए गए हैं।

VIII.3 2008-09 के दौरान, प्रिंटिंग प्रेस के समक्ष बैंक-नोटों के लिए रखी गयी मांग मात्रा के रूप में पूरी तरह से एवं मूल्य के रूप में काफी हद तक पूरी कर ली गई। रिज़र्व बैंक ने सिक्कों की बढ़ी हुई मांग को, जो अक्तूबर 2006 से आरंभ हुई एवं 2008-09 के दौरान और अधिक मजबूत हुई,भी पर्याप्त रूप में पूरा किया। 2008-09 के दौरान करेंसी चेस्ट की कुल संख्या में गिरावट आयी, जो सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा करेंसी चेस्टोंको युक्तिसंगत बनाने एवं उनके समेकन की चल रही नीति के प्रभाव को प्रदर्शित करता है। इस अध्याय में मुद्रा प्रबंधन के विशिष्ट पहलुओं पर वर्ष के दौरान रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए उपायों एवं पहलों का उल्लेख किया गया है ।

संचलन में बैंक-नोट

VIII.4 2008-09 के दौरान बैंक-नोटों का मूल्य एवं मात्रा लगातार बढ़ती रही (सारणी 8.1)। तथापि, बैंक-नोटों की मात्रा में हुई वृद्धि मूल्य में हुई वृद्धि की तुलना में कम थी जिससे उच्च मूल्य वर्ग वाले, विशेष तौर पर 1,000 रुपए एवं 500 रुपए के, बैंक-नोटों के पक्ष में क्रमिक रूप से बदलाव आया। तथापि, 10 रुपए मूल्यवर्ग के बैंक-नोटों की मात्रा, ऐसे बैंक-नोटों की गुणवत्ता सुधारने के लिए संचलन में ज्यादा संख्या में नोटों को डालने के लिए किए गए सतत प्रयासों के कारण, 31.0 प्रतिशत बढ़ गयी।

सारणी 8.1 : संचलन में बैंक-नोट

मूल्यवर्ग	मात्रा (मिलियन नग)			मूल्य (करोड़ रुपये)		
	मार्च अन्त 2007	मार्च अन्त 2008	मार्च अन्त 2009	मार्च अन्त 2007	मार्च अन्त 2008	मार्च अन्त 2009
1	2	3	4	5	6	7
रु .2 और रु .5	6,008 (15.1)	7,405 (16.7)	7,867 (16.1)	2,334 (0.5)	2,747 (0.5)	2,936 (0.4)
रु .10	7,155 (18.0)	9,333 (21.1)	12,222 (25.0)	7,155 (1.4)	9,333 (1.6)	12,222 (1.8)
रु .20	2,089 (5.2)	2,054 (4.6)	2,200 (4.5)	4,178 (0.8)	4,108 (0.7)	4,399 (0.6)
रु .50	5,590 (14.0)	5,302 (12.0)	4,888 (10.0)	27,951 (5.6)	26,508 (4.6)	24,440 (3.6)
रु .100	13,544 (34.0)	13,457 (30.4)	13,702 (28.0)	1,35,444 (27.3)	1,34,575 (23.1)	1,37,028 (20.1)
रु .500	4,508 (11.3)	5,262 (11.9)	6,166 (12.6)	2,25,400 (45.4)	2,63,108 (45.2)	3,08,304 (45.3)
रु .1,000	937 (2.4)	1,412 (3.2)	1,918 (3.9)	93,676 (18.9)	1,41,219 (24.3)	1,91,784 (28.2)
कुल	**39,831**	**44,225**	**48,963**	**4,96,138**	**5,81,598**	**6,81,113**

टिप्पणी : स्तंभ 2 से 7 तक में कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े संचलन में कुल बैंक-नोटों का प्रतिशत दर्शाते हैं।

VIII.5 2008-09 में व्यापक मुद्रा (एम$_3$) में करेंसी के अंश में लंबे समय से चली आ रही चिरंतन गिरावट जारी रही। यह अनुपात मार्च 1971 के अंत के 39.7 प्रतिशत के उच्च स्तर से निरंतर गिरकर मार्च 2001 के अंत में 16.0 प्रतिशत रह गया एवं उसके पश्चात क्रमिक रूप से गिरकर मार्च 2009 के अंत में 14.0 प्रतिशत रह गया, जो वित्तीय गहनता, क्रेडिट और डेबिट कार्ड के बढे हुए प्रयोग और तरल वित्तीय बाजारों को दर्शाता है। तथापि, जीडीपी की तुलना में जनता के पास उपलब्ध मुद्रा का अनुपात 2008-09 में पिछले वर्ष के 12.0 प्रतिशत से बढ़कर 12.5 प्रतिशत हो गया (चार्ट VIII.1)।

VIII.6 मात्रा के रूप में, 100 रुपए मूल्यवर्ग के बैंक-नोटों का हिस्सा सर्वाधिक था, जबकि मूल्य के रूप में 2009 में मार्च के अन्त के अनुसार 500 रुपए मूल्यवर्ग के नोटों का हिस्सा सर्वाधिक था (चार्ट VIII.2)।

संचलन में सिक्के

VIII.7 सिक्कों की बढ़ी हुई मांग, जो अक्तूबर 2006 में आरंभ हुई, 2008-09 में जारी रही। 2008-09 के दौरान, संचलन में छोटे सिक्कों सहित सिक्कों के कुल मूल्य में पिछले वर्ष के 13.3

चार्ट VIII.1 : मुद्रा और प्रमुख समुच्चय

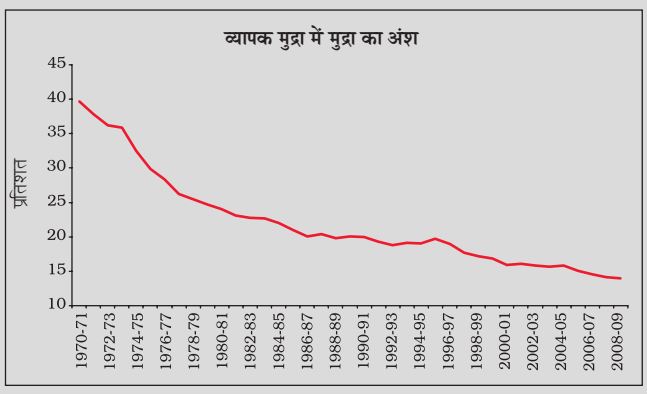

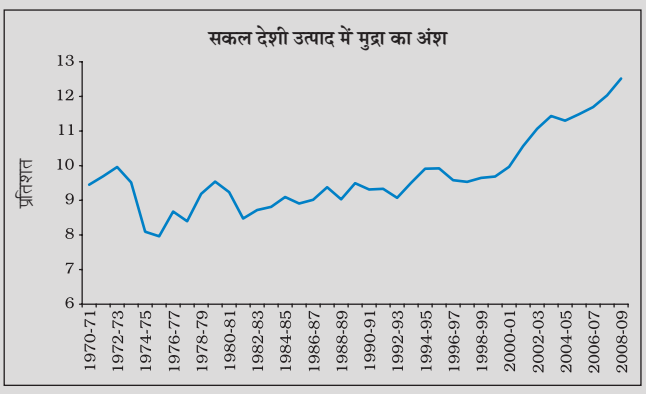

चार्ट VIII. 2 : संचलन में बैंक-नोट : मार्च 2009 के अंत में

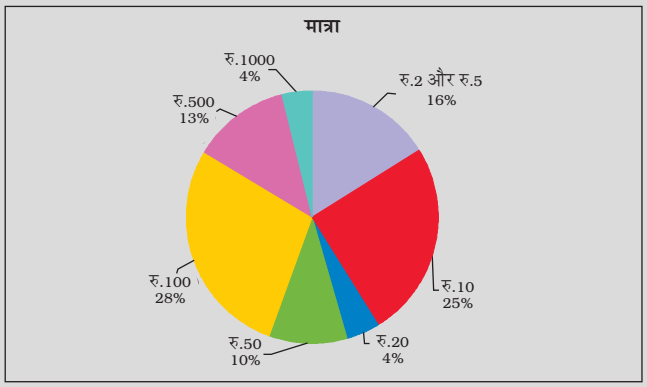

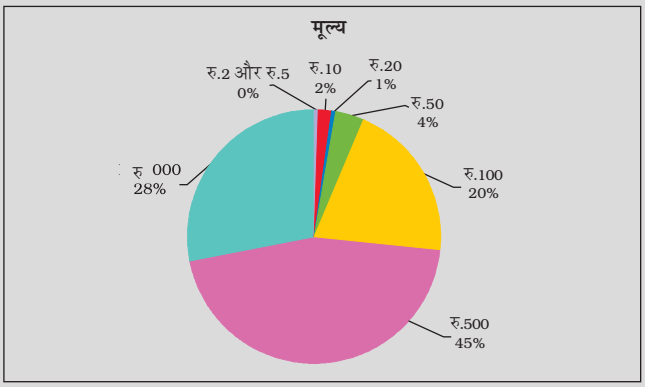

प्रतिशत की तुलना में 9.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। मात्रा के रूप में 2008-09 के दौरान, एक वर्ष पहले के 5.7 प्रतिशत की तुलना में 4.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी (सारणी 8.2)।

मुद्रा परिचालन

VIII.8 रिज़र्व बैंक ने अच्छी गुणवत्ता वाले बैंक-नोट उपलब्ध कराने के अपने प्रयास जारी रखे एवं बहुमुखी दृष्टिकोण, जिसमें नए बैंक-नोटों की नियमित आपूर्ति, गंदे बैंक-नोटों का तेजी से निपटान एवं नकदी प्रोसेसिंग संबंधी कार्यकलाप के मशीनीकरण में हुई वृद्धि शामिल है, के अन्तर्गत कई पहलें कीं। रिज़र्व बैंक अपनी स्वच्छ नोट नीति के अंग के रूप में बैंक-नोटों की उम्र बढ़ाने के विभिन्न विकल्पों का भी परीक्षण करता रहा है।

सारणी 8.2 : संचलन में सिक्के

मूल्यवर्ग	मात्रा (मिलियन नगों में)			मूल्य (करोड़ रुपए में)		
	मार्च के अन्त में			मार्च के अन्त में		
	2007	2008	2009	2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7
छोटे सिक्के	54,277 (60.1)	54,735 (57.3)	54,736 (54.7)	1,364 (17.0)	1,455 (16.0)	1,455 (14.6)
रु .1	22,878 (25.3)	24,721 (25.9)	26,957 (26.9)	2,288 (28.5)	2,472 (27.2)	2,696 (27.1)
रु .2	7,441 (8.2)	9,535 (10.0)	11,179 (11.2)	1,488 (18.6)	1,907 (21.0)	2,236 (22.5)
रु .5	5,761 (6.4)	6,500 (6.8)	7,141 (7.1)	2,881 (35.9)	3,250 (35.8)	3,570 (35.9)
कुल	**90,357**	**95,491**	**1,00,013**	**8,021**	**9,084**	**9,957**

टिप्पणी : कॉलम 2 से 7 में कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े संचलन में कुल सिक्कों का प्रतिशत दर्शाते हैं।

करेंसी चेस्ट

VIII.9 नोट जारी करने एवं मुद्रा प्रबंधन का प्रमुख केन्द्रीय बैंकिंग कार्य रिज़र्व बैंक द्वारा इसके 19 निर्गम कर्यालयों, कोच्ची में स्थित एक करेंसी चेस्ट एवं 4,279 करेंसी चेस्ट एवं 4,040 छोटे सिक्का डिपो के एक व्यापक नेटवर्क द्वारा किया जाता है (सारणी 8.3 और सारणी 8.4)। रिज़र्व बैंक ने विशेष रूप से अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के साथ एजेंसी व्यवस्था की है, जिसके अन्तर्गत उन्हें करेंसी चेस्ट की सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। उप राजकोष कार्यालयों (एसटीओ) के पास स्थित करेंसी चेस्ट को धीरे-धीरे समाप्त किया जा रहा है एवं 2008-09 के दौरान उनकी संख्या और घटकर 15 रह गयी। स्टेट बैंक समूह के पास करेंसी चेस्ट का

सारणी 8.3 : करेंसी चेस्ट

श्रेणी	निम्नलिखित के अन्त में करेंसी चेस्टों की संख्या			
	जून, 2006	जून, 2007	जून, 2008	दिसंबर, 2008
1	2	3	4	5
राजकोष	116	23	19	15
भारतीय स्टेट बैंक	2,182	2,127	2,089	2,166*
एसबीआइ के सहयोगी बैंक	994	988	985	900
राष्ट्रीयकृत बैंक	1,028	1,061	1,084	1,090
निजी क्षेत्र के बैंक	83	94	101	102
सहकारी बैंक	1	1	1	1
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	0	0	0	1
विदेशी बैंक	4	4	4	4
रिज़र्व बैंक (कार्यालय एवं करेंसी चेस्ट)	20	20	20	20
कुल	**4,428**	**4,318**	**4,303**	**4,299**

*: भूतपूर्व स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र से संबंधित 84 करेंसी चेस्ट शामिल हैं।

सारणी 8.4 : छोटे सिक्कों के डिपो

श्रेणी	निम्नलिखित के अन्त में छोटे सिक्कों के डिपो की संख्या			
	जून, 2006	जून, 2007	जून, 2008	दिसंबर, 2008
1	2	3	4	5
राजकोष	1	-	-	-
भारतीय स्टेट बैंक	2,088	2,043	2,019	2,098*
एसबीआइ के सहयोगी बैंक	1,013	965	965	882
राष्ट्रीयकृत बैंक	895	917	943	953
निजी क्षेत्र के बैंक	80	92	100	101
सहकारी बैंक	1	1	1	1
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	0	0	0	1
विदेशी बैंक	4	4	4	4
रिज़र्व बैंक (कार्यालय एवं करेंसी चेस्ट)	20	20	20	20
कुल	**4,102**	**4,042**	**4,052**	**4,060**

* : भूतपूर्व स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र से संबंधित 83 छोटे सिक्कों के डिपो शामिल हैं।

सबसे बड़ा हिस्सा (71.3 प्रतिशत) बना हुआ है उसके पश्चात राष्ट्रीयकृत बैंक आते हैं (25.3 प्रतिशत)।

नए बैंक-नोटों का मांगपत्र और आपूर्ति

VIII.10 लगातार तीसरे वर्ष, 2008-09 के लिए बैंक-नोटों का मांगपत्र प्रिंटिंग प्रेसों द्वारा पूर्ण रूप से पूरा किया गया । आपूर्ति मात्रा एवं मूल्य दोनों ही रूप में मांगपत्र के अनुरूप थी (सारणी 8.5 और 8.6), जो आपूर्तियों की प्रभावी निगरानी एवं बैंक-नोट प्रेसों में क्षमताओं के कार्यकुशल आबंटन और प्रबंधन की पुष्टि करता है।

VIII.11 भारतीय रिज़र्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लि. (बीआरबीएनएमपीएल), जो कि पूरी तरह रिज़र्व बैंक के स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, की स्थापना 1996 में नई नोट प्रेस परियोजना का स्थान लेने के लिए हुई थी। बीआरबीएनएमपीएल अपने दो प्रेसों अर्थात मैसूर (कर्नाटक) और सालबोनी (पश्चिम बंगाल) में बैंक-नोट मुद्रित करता हैं। 2008-09 (जुलाई-जून) के दौरान बीआरबीएनएमपीएल द्वारा बैंक-नोटों की कुल आपूर्ति 2007-08 के दौरान 8,488 मिलियन नगों की तुलना में 8,501 मिलियन नग थी। 2008-09 के दौरान सरकार के स्वामित्व वाले सिक्योरिटी प्रिंटिंग एण्ड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. (एसपीएमसीआइएल) द्वारा 2007-08 के 5,442 मिलियन नगों की तुलना में 5,160 मिलियन नग नोटों की आपूर्ति की गई।

बैंक-नोटों की मुद्रण लागत

VIII.12 रिज़र्व बैंक का हमेशा से यह प्रयास रहा है कि वह बैंक-नोटों की मुद्रण लागत को कम करे एवं नोट मुद्रणालयों को मुद्रित बैंक-नोटों की गुणवत्ता को बरकरार रखते हुए उन्हें परिचालनों में अधिक दक्षता लाने के लिए प्रोत्साहित करे। इन चल रहे प्रयासों के अंग के रूप में, रिज़र्व बैंक ने न्यूनतम लागत वाले उत्पादकों अर्थात सिक्युरिटी प्रिंटिंग एण्ड मिटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एसपीएमसीआइएल) और भारतीय रिज़र्व बैंक-नोट मुद्रण (प्राइवेट) लि. (बीआरबीएनएमपीएल) के पास से बैंक-नोट लेना जारी रखा है (सारणी 8.7)।

सारणी 8.5 : मांगपत्रित एवं आपूर्त बैंक-नोटों की मात्रा

(मिलियन नग)

मूल्यवर्ग	2006-07			2007-08			2008-09			2009-10
	मांगपत्र	आपूर्ति	मांगपत्र के प्रति आपूर्ति का प्रतिशत	मांगपत्र	आपूर्ति	मांगपत्र के प्रति आपूर्ति का प्रतिशत	मांगपत्र	आपूर्ति	मांगपत्र के प्रति आपूर्ति का प्रतिशत	मांगपत्र
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
रु.5	-	50	-	-	-	-	250	250	100	1,000
रु.10	3,500	3,480	99	4,200	4,193	100	5,000	5,030	101	5,000
रु.20	500	438	88	600	636	106	500	500	100	800
रु.50	1,400	1,458	104	1,200	1,213	101	1,000	1,008	101	1,000
रु.100	4,000	4,034	101	4,200	4,199	100	4,200	4,215	100	4,000
रु.500	1,500	1,473	98	1,800	1,805	100	3,500	3,459	99	4,000
रु.1,000	600	589	98	700	699	100	800	763	95	1,000
कुल	**11,500**	**11,522**	**100**	**12,700**	**12,745**	**100**	**15,250**	**15,225**	**100**	**16,800**

सारणी 8.6 : मांगपत्रित एवं आपूर्त बैंक-नोटों का मूल्य

(करोड़ रुपए)

मूल्यवर्ग	2006-07			2007-08			2008-09			2009-10
	मांगपत्र	आपूर्ति	मांगपत्र के प्रति आपूर्ति का प्रतिशत	मांगपत्र	आपूर्ति	मांगपत्र के प्रति आपूर्ति का प्रतिशत	मांगपत्र	आपूर्ति	मांगपत्र के प्रति आपूर्ति का प्रतिशत	मांगपत्र
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
रु.5	-	25	-	-	-	-	125	125	100	500
रु.10	3,500	3,480	99	4,200	4,193	100	5,000	5,030	101	5,000
रु.20	1,000	876	88	1,200	1,272	106	1,000	999	100	1,600
रु.50	7,000	7,292	104	6,000	6,065	101	5,000	5,042	101	5,000
रु.100	40,000	40,348	101	42,000	41,990	100	42,000	42,152	100	40,000
रु.500	75,000	73,655	98	90,000	90,250	100	1,75,000	1,72,950	99	2,00,000
रु.1,000	60,000	58,910	98	70,000	69,900	100	80,000	76,247	95	1,00,000
कुल	**1,86,500**	**1,84,586**	**99**	**2,13,400**	**2,13,670**	**100**	**3,08,125**	**3,02,545**	**98**	**3,52,100**

सिक्कों का मांगपत्र, आपूर्ति एवं वितरण

VIII.13 सिक्कों की मांग, जो पिछले कुछ वर्षों में बढ़ी है, 2008-09 के दौरान जारी रही। तदनुसार, रिज़र्व बैंक द्वारा टकसालों को दिए गए मांगपत्रों में तेजी आयी (सारणी 8.8 एवं 8.9)। रिज़र्व बैंक ने सिक्कों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए अपने उपाय जारी रखे, जिनमें ये शामिल थे (i) बैंक शाखाओं के अतिरिक्त डाकघरों, आरआरबी और यूसीबी के माध्यम से फुटकर वितरण की व्यवस्थाएं; (ii) देश भर में सिक्कों के वितरण के लिए 2000 बैंक शाखाओं की पहचान; (iii) जनता को पहचान की गयी बैंक शाखाओं के बारे में सूचना प्रदान करने के लिए प्रेस विज्ञप्तियाँ जारी करना एवं इन बैंक शाखाओं की सूची रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर डालना ; (iv) उपभोक्ताओं को सीधे तौर पर सिक्के प्रदान करने के लिए प्रमुख केन्द्रों पर रिज़र्व बैंक के विभिन्न निर्गम कार्यालयों द्वारा सिक्का मेलों का आयोजन; (v) होटलों, फुटकर दुकानों एवं दवा विक्रेताओं के पंजीकृत संघों को सिक्कों को बड़ी मात्रा में उपलब्ध कराना; और (vi) प्रदर्शनी/व्यापार मेलों में रिज़र्व बैंक कार्यालयों की भागीदारी एवं जनता में सीधे तौर पर सिक्कों का वितरण।

VIII.14 वर्ष के दौरान, पहली बार 10 रु. मूल्यवर्ग के नए द्वि-द्यात्विक सिक्के ('अनेकता में एकता' और 'कनेक्टिविटी और सूचना प्रौद्योगिकी' की थीमों के साथ) लाए गए। इनके 80 मिलियन नग बनाए गए एवं आरबीआइ / बैंकों के सर्वजनिक काउन्टरों के माध्यम से जारी किए गए।

गंदे बैंक-नोटों का निपटान

VIII.15 2008-09 के दौरान गंदे बैंक-नोटों के 11,962 मिलियन नगों (संचलन में मौजूद बैंक-नोटों के 24.4 प्रतिशत) को संसाधित किया गया एवं इन्हें संचलन से हटाया गया (सारणी 8.10)। इसकी तुलना में वर्ष के दौरान नए बैंक-नोटों के 13,809 मिलियन नगों की आपूर्ति जनता को एवं करेंसी चेस्टों को की गयी। करेंसी

सारणी 8.7 : बैंक-नोटों की आपूर्ति एवं लागत

वर्ष (जुलाई-जून)	एसपीएमसीआइएल		बीआरबीएनएमपीएल		कुल	
	आपूर्ति (मिलियन नग)	लागत (करोड़ रुपए में)	आपूर्ति (मिलियन नग)	लागत (करोड़ रुपए में)	आपूर्ति (मिलियन नग)	लागत (करोड़ रुपए में)
1	2	3	4	5	6	7
2004-05	4,160	783	7,391	660	11,551	1,443
2005-06	2,697	406	4,194	629	6,891	1,035
2006-07	5,136	1,042	7,348	978	12,484	2,020
2007-08	5,442	908	8,488	1,118	13,930	2,026
2008-09	**5,160**	**906**	**8,501**	**1,157**	**13,661**	**2,063**

एसपीएमसीआइएल : सिक्यूरिटी प्रिंटिंग एण्ड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.
बीआरबीएनएमपीएल : भारतीय रिज़र्व बैंक नोट मुद्रण (प्राइवेट) लि.

सारणी 8.8 : सिक्कों का मांगपत्र और आपूर्ति (मात्रा)

(मिलियन नग)

मूल्यवर्ग	2006-07		2007-08		2008-09		2009-10
	मांगपत्र	आपूर्ति	मांगपत्र	आपूर्ति	मांगपत्र	आपूर्ति	मांगपत्र
1	2	3	4	5	6	7	8
50 पैसे	0	0	185	127	400	153	200
रु.1	0	45	1,500	1,294	2,500	2,110	3,000
रु.2	700	686	1,500	1,562	1,800	1,671	2,000
रु.5	0	11	300	173	1,200	335	800
रु.10	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80**	**100**
कुल	**700**	**742**	**3,485**	**3,156**	**5,900**	**4,349**	**6,100**

सारणी 8.9 : सिक्कों का मांगपत्र और आपूर्ति (मूल्य)

(करोड़ रुपए)

मूल्यवर्ग	2006-07		2007-08		2008-09		2009-10
	मांगपत्र	आपूर्ति	मांगपत्र	आपूर्ति	मांगपत्र	आपूर्ति	मांगपत्र
1	2	3	4	5	6	7	8
50 पैसे	-	-	9	6	20	8	10
रु.1	-	5	150	129	250	211	300
रु.2	140	137	300	312	360	334	400
रु.5	0	5	150	87	600	168	400
रु.10	0	0	0	0	0	80	100
कुल	**140**	**147**	**609**	**534**	**1,230**	**801**	**1,210**

चेस्ट से गंदे बैंक-नोटों को शीघ्रता से हटाने एवं रिज़र्व बैंक के कार्यालयों की निपटान करने की क्षमता के संवर्द्धन के लिए किए जा रहे प्रयासों के एक हिस्से के रूप में वर्ष के दौरान संचलन में से वापस लिए गए एवं उसके पश्चात अंततः रिज़र्व बैंक के कार्यालयों में निपटाए गए बैंक-नोटों की संख्या बढ़ गई ।

VIII.16 2008-09 के दौरान निपटाए गए 11,962 मिलियन नग नोटों में से बैंक-नोटों के 6,748 मिलियन नगों को (एक वर्ष पहले 6,287 मिलियन नग) 54 मुद्रा सत्यापन एवं संसाधन प्रणाली (सीवीपीएस) के माध्यम से संसाधित किया गया था। बचे हुए बैंक-नोटों का निपटान डाइनेमिक वर्किंग मॉडल के अंतर्गत किया गया था, जो कि 50 रु . मूल्यवर्ग तक के नोटों के संसाधन का सांख्यिकीय तरीका है, जिसमें विसंगतियों की जांच के लिए एक लॉट (अर्थात संसाधन हेतु विचार किए गए गंदे बैंक-नोटों) में से प्रतिनिधि के रूप में एक नमूने को लिया जाता है। यदि लिए गए प्रतिनिधि नमूने में पाई गई खामियां 'सहनीय सीमा' के भीतर हैं तो शेष लॉट की श्रेडिंग कर दी जाती है, अन्यथा संपूर्ण लॉट की 100 प्रतिशत जांच सीवीपीएस के माध्यम से की जाती है।

मशीनीकरण

VIII.17 रिज़र्व बैंक मुद्रा प्रबंधन में नकदी प्रोसेसिंग गतिविधि तथा गंदे नोटों के निपटान के मशीनीकरण पर काफी जोर देता रहा है। सभी करेंसी चेस्ट में अब कम से कम एक नोट सॉर्टिंग मशीन लगाए जाने के साथ, बैंकों को सूचित किया गया है कि वे अन्य बातों के साथ-साथ उनके द्वारा हैंडल की जानेवाली नकद राशि की मात्रा के आधार पर अपनी करेंसी चेस्ट से इतर शाखाओं में डेस्कटॉप नोट सॉर्टिंग मशीन (एनएसएम) लगवा लें। रिज़र्व

सारणी 8.10 : गंदे नोटों का निपटान एवं नए बैंक-नोटों की आपूर्ति

मूल्यवर्ग	मात्रा मिलियन नग में					
	2006-07		2007-08		2008-09	
	निपटान	आपूर्ति	निपटान	आपूर्ति	निपटान	आपूर्ति
1	2	3	4	5	6	7
रु.1,000	7	405	17	663	39	664
रु.500	276	1,427	444	1,756	735	2,611
रु.100	2,360	3,716	3,727	4,015	3,690	4,277
रु.50	1,456	1,438	2,172	1,522	2,403	1,042
रु.20	489	739	834	728	1,003	605
रु.10	2,243	2,719	3,030	4,580	3,700	4,607
रु.5 तक	494	259	472	478	392	3
कुल	**7,325**	**10,703**	**10,696**	**13,742**	**11,962**	**13,809**
ज्ञापन :						
संचलन में कुल बैंकनोट		**39,831**		**44,225**		**48,963**

टिप्पणी : आपूर्ति के आंकड़े जनता को जारी नोट एवं रिज़र्व बैंक द्वारा करेंसी चेस्टों को भेजे गए विप्रेषण हैं; इसलिए ये आंकड़े सारणी 8.5, जिसमें रिज़र्व बैंक को मुद्रणालयों द्वारा आपूर्त नोट दर्शाए गए हैं, से भिन्न हैं ।

सारणी 8.11 : पता लगाए गए जाली नोट

मूल्यवर्ग	नगों की संख्या			मूल्य (रुपए में)		
	2006-07	2007-08	2008-09	2006-07	2007-08	2008-09
1	2	3	4	5	6	7
Rs. 10	110 (-)	107 (-)	68 (-)	1,100	1,070	680
रु.20	305 (0.1)	343 (0.2)	341 (0.2)	6,100	6,860	6,820
रु.50	6,800 (1.2)	8,119 (1.5)	12,792 (2.6)	3,40,000	4,05,950	6,39,600
रु.100	68,741 (5.1)	1,10,273 (8.2)	1,33,314 (9.7)	68,74,100	1,10,27,300	1,33,31,400
रु.500	25,636 (5.7)	66,838 (12.7)	2,19,739 (35.6)	1,28,18,000	3,34,19,000	10,98,69,500
रु.1,000	3,151 (3.4)	10,131 (7.2)	31,857 (16.6)	31,51,000	1,01,31,000	3,18,57,000
कुल	**1,04,743 (2.6)**	**1,95,811 (4.4)**	**3,98,111 (8.1)**	**2,31,90,300**	**5,49,91,180**	**15,57,05,000**

– : **नगण्य**

टिप्पणी : 1. उक्त आंकड़ों में पुलिस तथा अन्य प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा जब्त किए गए जाली नोटों को शामिल नहीं किया गया है।
2. स्तंभ 2,3, और 4 में कोष्ठकों में दर्शाए गए आंकड़े संचलन में मौजूद कुल बैंक-नोटों में प्रति मिलियन नगों की संख्या दर्शाते हैं (सारणी 8.1)।

बैंक ने अपने कार्यालयों तथा देशभर की चुनिंदा करेंसी चेस्ट से इतर बैंक शाखाओं में 250 एनएसएम लगवाने के लिए भी उपाय किए हैं। रिज़र्व बैंक के दिल्ली कार्यालय ने सिक्कों को पाउचों एवं नोट पैकेटों को प्रोटोटाइप वेंडिंग मशीन द्वारा वितरित करना आरम्भ कर दिया है। जनता की प्रतिक्रिया एवं और अधिक परिष्कृत करने के पश्चात ऐसी मशीनें अन्य कार्यालयों में भी लाई जाएंगी।

जाली बैंक-नोट

VIII.18 जाली बैंक-नोटों का पता लगाने में एक वृद्धि की प्रवृत्ति दिखी। 2008-09 के दौरान, रिज़र्व बैंक के कार्यालयों एवं बैंक शाखाओं में 3,98,111 जाली बैंक-नोटों का पता लगाया गया, जबकि पिछले वर्ष यह संख्या 1,95,811 थी (सारणी 8.11)। इनमें से 3,42,281 नगों का पता बैंक शाखाओं में लगाया गया था जिससे उनके द्वारा एनएसएम के बढ़े हुए प्रयोग का पता चलता है (सारणी 8.12)

VIII.19 रिज़र्व बैंक ने जाली बैंक-नोटों के खतरे से निपटने के लिए कई कदम उठाए हैं (बॉक्स VIII.1)। सभी बैंकों द्वारा उनकी करेंसी चेस्टवाली शाखाओं में नोट सॉर्टिंग मशीनें (एनएसएम) लगवाने (करेंसी चेस्ट के स्तर पर ही नोटों की जांच तथा जाली नोटों का पता लगाने के लिए) और बैंकों में जाली नोट सतर्कता कक्ष (एफएनवीसी) के गठन (बैंकिंग प्रणाली में जालसाजी रोकथाम प्रबंधन के सख्त उपाय को सुनिश्चित करने के लिए) से अधिक मात्रा में जाली बैंक-नोटों का पता लगाने में काफी मदद मिली।

सारणी 8.12 : रिज़र्व बैंक तथा बैंक शाखाओं में पता लगाए गए जाली नोटों की संख्या

वर्ष	रिज़र्व बैंक में पता लगाए गए	अन्य बैंकों में पता लगाए गए	कुल
1	2	3	4
2006-07	59,048 (56.4)	45,695 (43.6)	1,04,743
2007-08	62,134 (31.7)	1,33,677 (68.3)	1,95,811
2008-09	55,830 (14.0)	3,42,281 (86.0)	3,98,111

टिप्पणी: स्तंभ (2) तथा (3) में कोष्ठक में दर्शाए गए आंकड़े कुल में से हिस्सा दर्शाते हैं।

मुद्रा प्रबन्धन का कम्प्यूटरीकरण

VIII.20 करेंसी चेस्ट से रिज़र्व बैंक तक स्टॉक की स्थिति के संबंध में सूचना के निरंतर प्रवाह को प्राप्त करने के लिए, रिज़र्व बैंक ने एक समन्वित कम्प्यूटरीकृत मुद्रा परिचालन और प्रबंध प्रणाली (आइसीसीओएमएस) स्थापित की है। 2008-09 के दौरान, आइसीसीओएमएस को सभी निर्गम सर्कलों में सफलतापूर्वक लागू

बॉक्स VIII.1
जाली करेंसी बनाने को रोकने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा उठाए गए कदम

जाली बैंक-नोटों के खतरे को रोकने के लिए रिज़र्व बैंक ने कई उपाए किए। इन उपायों में शामिल हैं - बैंक-नोटों में सुरक्षा विशेषताओं को बढ़ाना, ताकि जाली नोट बनाना कठिन एवं मंहगा हो जाए तथा जनता एवं नकदी हैंडल करने वालों के बीच शिक्षा अभियान चलाना, ताकि जाली नोटों का पता लगाया जा सके। इस संबंध में किए गए कुछ उपाय इस प्रकार हैं :

- बैंकों की सभी करेंसी चेस्ट वाली शाखाओं में (और कतिपय पहचान की गई करेंसी चेस्ट से इतर शाखाओं में, जो अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के नजदीक हैं अथवा जिनमें भारी नकद लेनदेन होता है) जाली नोटों का पता लगाने एवं उन्हें संचलन में आने से रोकने के लिए नोट सॉर्टिंग मशीनें लगाई गई हैं।
- रिज़र्व बैंक सूचना के आदान-प्रदान के लिए जांच एजेंसियों एवं राज्य पुलिस प्राधिकारियों के साथ समन्वय करता रहा है। जाली नोटों के निर्गम से निपटने के लिए सभी संबंधित एजेंसियों को शामिल कर पुलिस महानिदेशक की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समितियां गठित की गई हैं।
- सभी बैंकों में जाली नोट सतर्कता कक्षों का गठन किया गया है ताकि जाली नोट बनाने वालोंपर कड़ी नजर रखी जा सके।
- जाली नोट बनाने वालों से एक कदम आगे रहने के लिए जारी प्रयास के रूप में 2005-06 में सभी मूल्यवर्ग के नोटों में नई सुरक्षा विशेषताएं/नई अभिकल्पनाएं (डिजाइन) लाई गईं, जिनमें जालसाजी को रोकने के लिए सुधरे हुए डिजाइन एवं सुरक्षा विशेषताएं शामिल की गईं हैं।
- रिज़र्व बैंक रेलवे इत्यादि और पुलिस प्राधिकारियों जैसे बड़ी मात्रा में नकदी हैंडल करने वाले संगठनों एवं बैंक कर्मचारियों के लिए नियमित आधार पर प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाता है।
- जन जागरूकता अभियान के रूप में रिज़र्व बैंक ने अपनी वेबसाइट पर भारतीय बैंक-नोटों की सुरक्षा विशेषताओं पर व्यापक जानकारी उपलब्ध कराई है। बैंक शाखाओं में 'अपने बैंक-नोटों को जानें' विषयक पोस्टर भी प्रदर्शित किए गए हैं।
- 'अपने बैंक-नोट को जाने' पर एक फिल्म, फिल्म्स डिवीजन के माध्यम से बनाई गई है, जिसे हमारे इश्यू कार्यालयों/ मुद्रा तिजोरियों, जन सुविधाओं, थिएटरों एवं अन्य मीडिया के अन्य माध्यमों को स्क्रीनिंग के लिए भेज दिया गया हैं।

किया गया। आइसीसीओएमएस के तीन घटक हैं, अर्थात करेंसी चेस्ट रिपोर्टिंग प्रणाली (सीसीआरएस), आइसीसीओएमएस-निर्गम विभाग (आइसीसीओएमएस-आइडी) तथा मुद्रा प्रबंध सूचना प्रणाली (सीएमआइएस) जिनका प्रयोग क्रमश: विभिन्न बैंको द्वारा चलाई जा रही करेंसी चेस्टों, क्षेत्रीय कार्यालय के निर्गम विभागों तथा केंद्रीय कार्यालय में किया जाता हैं। आइसीसी-ओएमएस के कार्यान्वयन से करेंसी चेस्ट लेन-देनों की त्वरित, दक्ष और दोष-मुक्त रिपोर्टिंग तथा लेखांकन तथा सक्रिय निगरानी सहित सुरक्षित रूप में निर्गम विभागों और केन्द्रीय कार्यालय के बीच सूचनाओं का अबाध प्रवाह सुकर बन सका है। आइसीसीओएमएस के अन्तर्गत सीसीआरएस घटक से रिज़र्व बैंक को मुद्रा अन्तरण लेनदेनों के दक्ष लेखांकन में मदद मिली है। दूसरे घटक अर्थात आइसीसीओएमएस - आइडी के अन्तर्गत रिज़र्व बैंक के सभी 19 कार्यालयों द्वारा 'स्ट्रेट थ्रू पुट' प्रक्रिया के जरिए लेनदेन किए जाते हैं। सीएमआइएस के एक भाग के रूप में, सभी निर्गम कार्यालयों से प्राप्त आंकड़ों से रिज़र्व बैंक को अखिल भारतीय आधार पर किसी भी समय बैंक-नोटों तथा सिक्कों के स्टॉक, गंदे नोटों के संचय, निपटान तथा संचलन में स्थित नोटों का पता लगाने में मदद मिली है । 2009-10 की प्रथम तिमाही में, सीएमआइएस संबंधी मॉड्यूल के पूरा हो जाने की आशा है।

ग्राहक सेवा

VIII.21 वर्ष के दौरान रिज़र्व बैंक ने आम जनता को सिक्के जारी करने / उनसे सिक्के स्वीकार करने तथा गंदे एवं कटे-फटे नोटों के विनिमय संबंधी मामलों में ग्राहक सेवा सुधारने के लिए काफी उपाय किए हैं। रिज़र्व बैंक ने सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को पुनः निदेश दिए हैं कि वे बिना किसी प्रतिबन्ध के लेन-देन में अथवा विनिमय के लिए सिक्के जारी करें और गंदे बैंक-नोट स्वीकार करें। रिज़र्व बैंक ने अपने क्षेत्रीय कार्यालयों, को सूचित किया है कि वे बैंकों के परामर्श से पहचाने गए स्थलों पर (जहाँ मांग ज्यादा हो) सिक्का कैम्पों की व्यवस्था करें। केवल रिज़र्व बैंक के कार्यालयों के सार्वजनिक काउंटरों पर ही नहीं, अपितु करेंसी चेस्टों तथा बैंक शाखाओं में भी समय पर और कुशल ग्राहक सेवा उपलब्ध कराने का प्रयास जारी रखा गया।

VIII.22 रिज़र्व बैंक ने मौजूदा नोट वापसी नियमावली के सरलीकरण को अन्तिम रूप दिया है ताकि कटे-फटे नोटों को बदलने संबंधी ग्राहक सेवा में सुधार लाया जा सके।

VIII.23 मुद्रा प्रबंधन के लिए नागरिक अधिकार-पत्र को संशोधित कर लिया गया है ताकि बेहतर ग्राहक सेवा उपलब्ध कराई जा सके।

VIII.24 रिज़र्व बैंक में मुद्रा प्रबंध परिचालन के क्षेत्र में देश में अच्छी गुणवत्ता वाले बैंक-नोटों एवं सिक्के उपलब्ध कराने पर ध्यान केन्द्रित करना जारी रहेगा । नोट संसाधन गतिविधियों के बढ़े हुए मशीनीकरण सहित करेंसी चेस्ट के चल रहे कम्प्यूटरीकरण के साथ, रिज़र्व बैंक उभरती हुई चुनौतियों का कारगर तरीके से जवाब देता रहेगा। यह बैंक-नोटों में सुरक्षात्मक विशेषताओं को और सुदृढ़ करने के अपने प्रयास भी जारी रखेगा, ताकि जाली नोटों से उत्पन्न जोखिम को कम किया जा सके। मुद्रा प्रबंधन के अन्य क्षेत्रों में विशेष तौर पर कम मूल्यवर्ग के बैंक-नोटों की संचलन आयु में वृद्धि के लिए विभिन्न विकल्प ढूंढ़ने के क्षेत्र में, जिससे ऐसे बैंक-नोटों का मुद्रण संभव हो पाएगा जो बहुत सख्त गुणवत्ता नियम/मानकों को पूरा करते हों, तथा बैंक-नोट एवं सिक्कों को पुनःचक्रित करने सहित बैंक-नोटों एवं सिक्कों को हैंडल करने की प्रथाओं की समीक्षा करने के क्षेत्र में की गई पहलों पर भी तेजी से कार्रवाई की जाएगी।